न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

मिसल न0– 55/2024 जीसीएमएस न0 – 2024/1646

अनवान :–

1. तिलोकचन्द पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. प्रेमसिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. बेगराज पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. चानणराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. नाबालिग नवीन कुमार पुत्र शंकरलाल संरक्षक माता ममता जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. भंवरलाल पुत्र जोतराम जाति ब्राहमण निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. श्योपतराम पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. सुखराम पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
8. उर्मिला देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
10. राधा पुत्री कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
11. दुर्गादत पुत्र नानुराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
12. पतराम पुत्र नानुराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
13. पेमाराम पुत्र नानुराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
14. लीलाधर पुत्र नानुराम जाति ब्राहमण निवासी नीमला तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

16. आदराम पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी धनासर तहसील रावतसर।
17. कमलेश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
18. देवीलाल पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
19. प्रेमाराम पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी धनासर तहसील रावतसर।
20. रमेश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
21. राजेन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
22. रामचन्द्र पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
23. रामस्वरूप पुत्र बेगराज निवासी नीमला तहसील नोहर।
24. हंसराज पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी धनासर तहसील रावसतर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायलान

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक, गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 14/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 301/298 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 24.0160 है0 कृषि भूमि सायल संख्या 1 ता 3 व तरीतीवी गैरसायलान संख्या 16 से 24 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 144/136 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 12.2040 है0 भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 7 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है

रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 87/80 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 43.4040 है0 भूमि गैरसायल संख्या 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

Rahul

..1

ता 14 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार काश्तकार कृष्ण कुमार पुत्र नानुराम फौत हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद उर्मिला पत्नी कृष्ण कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार राधा पुत्री कृष्ण कुमार है जिनको प्रार्थना पत्र में गैरसायल संख्या 8 ता 10 कायम किया गया है।

सायलान व तरतीवी गैरसायलान अपनी कृषि भूमि नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2072–20795 के खाता संख्या 301/298 की कृषि भूमि मे जाने के लिए अपने गांव से चलकर खसरा नं. 430 में मंजूरशुदा रास्ता से होते हुए गैस्सायल संख्या 1 ता 7 की कृषि भूमि के खसरा नं. 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ी भूमि में से होकर गैर सासायल संख्या 8 ता 14 खसरा नं. 414 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ी भूमि में से होते हुए अपने खेत खसरा नं. 410 में प्रवेश करते है और इसी रास्ते से सायलान व तरतीवी गैरसायलन सदामत से आवागमन करतें चले आ रहे है। सायलान व तरतीची गैरसायलान के अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई स्वीकशुदा रास्ता नहीं है। यह सबसे नजदीकी व सुविधाजक रास्ता है। उक्त रास्ता पर काफी वर्षों से आपसी सहमति से आवागमन होता आ रहा है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 7 के खेत रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं गैरसायल संख्या 8 ता 14 ख0न0 414 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में 1 गटठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे इसके बदले में सायलान व तरतीवी गैरसायलान डीएलसी रेट की दूगनी किमत गैरसायलान को देने के लिए तैयार है।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 8 लगायत 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 301/298 में जाने हेतु गैरसायल स0 1 ता 7 की कृषि भूमि के ख0न0 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में एवं ख0न0 413 मिन मध्य मे से पश्चिम दिशा में कभी भी आवागमन नही रहा है तो न ही सायलान व तरतीबी गैरसायलान कभी भी आवागमन नही रहा है केवल सायलान द्वारा बनावटी व तथ्यहीन आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। सायलान ने पूर्व में बअनवानी तिलोकचन्द बनाम कृष्ण कुमार आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251– ए आर.टी. एक्ट सन् 1955 का पेश किया था तथा जिसमें दिनांक 28/10/2024 को पटवारी एवं गिरदावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान के खेत में जाने के लिए ख.न. 407 में रास्ता है तथा जो कि मौके पर चालु है एवं सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान द्वारा 407 में से ही हमेशा से आवागमन करते आ रहे है तथा ख.न. 407 से सदामत से आवागमन रहा है। सायलान का ख.न. 414 में से कभी आवामन नही रहा है तथा ना ही ख.न. 413 में से आवागमन रहा है एवं गैरसायलान उतरदाता के ख.न. 414 के मध्य में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो खेत में दो टुकडे हो जायेगे तथा गैरसायलान उतरदाता को खेत का अभी तक बंटवारा नही हुआ है तथा गैरसायलान उतरदाता का अभी तक विभाजन नही हुआ है एवं गैरसायलान उतरदाता के खेत के टुकडे नही किये जा सकते है एवं पटवारी हल्का एवं [illegible] द्वारा सायलान के कहे अनुसार एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है। [illegible] भूमि जो सायल की भूमि के चिपते हुए है में से रास्ता स्वीकृत करवाने [illegible] अधिकारी है गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायल की भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 7 के खेत रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं गैरसायल संख्या 8 ता 14 ख0न0 414 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में 1 गटठा चौड़ा रास्ता से अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है उक्त रास्ता सदामत से चालू है जिसे स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने आदेश फरमावे रास्ते की भूमि के बदले में डीएलसी दर से राशि देने के लिये तेयार है।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान द्वारा 407 में से ही हमेशा से आवागमन करते आ रहे है तथा ख.न. 407 से सदामत से आवागमन रहा है। सायलान का ख.न. 414 में से कभी आवामन नही रहा है तथा ना ही ख.न. 413 में से आवागमन रहा है एवं गैरसायलान उतरदाता के ख.न. 414 के मध्य में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो खेत में दो टुकडे हो जायेगे ख0न0 407 की भूमि इनके परिवार भाई की भूमि है जिसमें से सदामत से चला आ रहा है और इसी रास्ता को स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है सायलान ने पूर्व में बअनवानी तिलोकचन्द बनाम कृष्ण कुमार आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251– ए आर.टी. एक्ट सन् 1955 का पेश किया था तथा जिसमें दिनांक 28/10/2024 को पटवारी एवं गिरदावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान के खेत में जाने के लिए ख.न. 407 में रास्ता है तथा जो कि मौके पर चालु है एवं सायलान एवं तरतीबी गैरसायलान द्वारा 407 में से ही हमेशा से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण ख0न0 407 में से ही रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 301/298 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 24.0160 है० कृषि भूमि सायल संख्या 1 ता 3 व तरीतीबी गैरसायलान संख्या 16 ता 24 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मीजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 144/136 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 122040 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 7 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 87/80 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 43.4040 है० भूमि गैरसायल संख्या 8 ता 14 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल का कथन है कि उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल संख्या 1 ता 7 के खेत रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं गैरसायल संख्या 8 ता 14 ख0न0 414 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में 1 गटठा चौड़ा रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 410 में प्रवेश करता है जबकि गैरसायल [illegible] है कि सायलान कभी भी उक्त रास्ता से आवागमन नही किया गया [illegible] है सायल अपने भाईयों की भूमि ख0न0 407 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है किन्तु भाई की भूमि होने के कारण रास्ता स्वीकृत नही [illegible]ाना चाहता है एवं सायलान द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र में भी पटवारी द्वारा यही रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि ख0न0 407 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:12:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

रास्ता चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। सायलान द्वारा गैरसायल को नुकसान पहुचाने के लिये गैरसायल की भूमि के बीच में से रास्ता चाहा है जिससे गैरसायल की भूमि के दो टुकडे हो जाते है सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार सायल वर्तमान में पडौसीयो से मागें हुए रास्ते से आवागमन करता है अन्य स्वीकृत रास्ता नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा नीमला के ख0न0 410 में अवागमन हेतु ख0न0 413 व ख0न0 414 के मध्य में से प्रवेश करते है एवं ख0न0 407 में से ख0न0 410 में भी प्रवेश हेतु रास्ता है जो की मौके पर चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है अर्थात प्रार्थी के खेत में जाने हेतु दो रास्ते है ख0न0 407 एवं ख0न0 413 व 414 लेकिन नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0न0 407 में से ख0न0 410 में आवगामन हेतु ख0न0 413 व ख0न0 414 की बजाय रास्ता नजदीकी व सुविधाजनक प्रतीत होता है एवं तहसीलदार के के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ख0न0 ख0न0 410 में प्रवेश हेतु ख0न0 407 में से रास्ता चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की बजाय ख0न0 413 व ख0न0 414 में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह कथन अंकित नही किया की वह किस प्रकार से अपनी भूमि में गांव/ घर से चल कर अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता है।

सायल यदि ख0न0 430 के स्वीकृत रास्ता से आता है तो वह 407 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है और सायल ने रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 413 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में 1 गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर एवं गैरसायल संख्या 8 ता 14 ख0न0 414 के मिन मध्य में से पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में 1 गटठा चौड़ा रास्ता चाहा है जिससे गैरसायल की भूमि दो टुकडों मे बट जाती है जिसे काश्त करने में गैरसायल का परेशानी हो सम्भावित है।

हॉ, यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण मे सायलान को गैरसायल की भूमि के टुकडे किये बिना भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल अपने परिवार /भाईयों की भूमि में से भी स्वीकृत करवा सकता है अर्थात नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता अपने भाईयो की भूमि में से प्राप्त हो सकता है तथा सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये गैरसायल की भूमि के दो टुकडे किये बिना ही नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होगी एव सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता भी न्यायोचित नही है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योंग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/8/25 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:12:24 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर